IJAER/March-April 2017/Volume-6/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय प्रजातंत्र : दशा और दिशा

डॉ मंजुलता शर्मा
व्याख्याता-राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय निवाई टोंक राजस्थान

लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोग या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य का संचालन अपने ही हित में करते हैं और प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली के हर क्षेत्र में लोग अंतिम प्राधिकरण होते हैं। हालाँकि, आधुनिक भारत में, लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, गरीबी और बेरोज़गारी, अशिक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट जैसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत में सच्चे संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसे सबल बनाने की आवश्यकता है। यह पेपर भारत में मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली और दुनिया की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति इसके निहितार्थ की जांच और विश्लेषण करने की कोशिश करता है। यह भारत के लिए एक स्वस्थ और स्थायी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए कुछ संभावित उपायों या संस्थागत सुधारों का भी सुझाव देता है।

परिचय

लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रणाली है जिसमें आम लोग और सरकार मिलकर एक नागरिक समाज का निर्माण करते हैं और एक सामान्य भविष्य का निर्माण करते हैं। हम लोकतंत्र के युग में रहते हैं और दुनिया के अधिकांश लोग सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में रहते हैं। भारत सहित अधिकांश देशों ने शासन के लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाया है। लोकतांत्रिक देशों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन यूनान में देखी जा सकती है। सरकार के एक रूप के रूप में, यह प्राचीन ग्रीस के शहर-राज्यों में मौजूद था। 'डेमोक्रेसी' शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है - 'डेमोस' जिसका अर्थ है 'लोग' और 'क्रेटोस' जिसका अर्थ है 'शक्ति'। अतः लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र का अर्थ सरकार की एक प्रणाली के रूप में होता है जिसमें शासन का अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रतिनिधि के माध्यम से लोगों के पास होता है।

लोकतंत्र की परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए के रूप में दी थी। इस परिभाषा को लोकतंत्र की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। डेविड हेल्ड ने कहा कि "मेरा मानना है कि लोकतंत्र का सबसे रक्षात्मक और आकर्षक रूप वह है जिसमें नागरिक विस्तृत क्षेत्र में निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं।" जोसेफ ए. शुम्पीटर द्वारा दी गई लोकतंत्र की एक और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि "लोकतंत्र राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक निर्णयों पर पहुंचने के लिए एक राजनीतिक पद्धति या एक संस्थागत व्यवस्था है, जो कुछ व्यक्तियों में निहित होने के परिणामस्वरूप सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। लोगों के वोट का सफल पीछा ”। प्राचीन यूनान से आधुनिक विश्व में रूपांतरण की अवधि के दौरान लोकतंत्र और उसके आयामों में परिवर्तन हुए। परिणामस्वरूप, प्राचीन यूनान में प्रचलित लोकतंत्र के स्वरूप ने बिल्कुल भिन्न और नया आकार धारण कर लिया। इस संदर्भ में, प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि "लोकतंत्र सहिष्णुता है, यह न केवल उन लोगों के प्रति सहिष्णुता है जो सहमत हैं (हमारे साथ) बल्कि असहमत लोगों के प्रति भी" (नेहरू, 1950)। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते या लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते वे हिंसा और असहिष्णुता के रास्ते पर चलते हैं। बीसवीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान के प्रख्यात विद्वानों के नेतृत्व में एक आंदोलन देखा गया है जो इस विश्वास को खारिज करता है कि लोकतंत्र एक राजनीतिक अवधारणा है, सरकारी निर्णय लेने का एक तरीका है और लोकतंत्र को जीवन के एक तरीके के रूप में स्वीकार किया है। हालाँकि, इस संदर्भ में, जॉन डेवी ने

खुलासा किया कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है, यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है, यह समाज का एक क्रम है, और यह जीवन का एक तरीका है। यह सिर्फ एक सामाजिक विश्वास है जिसमें शासन करने योग्य निर्णय प्राप्त किए जा सकते हैं और प्रत्येक नागरिक को जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलते हैं।

हालाँकि, अपने प्रारंभिक चरण से, लोकतंत्र शब्द को एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन आधुनिक दुनिया ने लोकतंत्र की दो और विशेषताओं को मान लिया है- आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। एक राजनीतिक लोकतंत्र में, सरकार लोगों की सहमति पर आधारित होती है और सरकार की एक प्रणाली के रूप में जिसमें देश के नागरिकों के पास शक्ति का हिस्सा होता है। जनता की राय में अंतर, सरकार की आलोचना इस लोकतंत्र के कुछ तत्व हैं। एक सामाजिक लोकतंत्र में, इंसान की गरिमा का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र समाज के प्रत्येक वर्ग का एक सामाजिक और मानव के रूप में सम्मान करता है। शासन की इस प्रणाली में, लोकतंत्र एक प्रतिष्ठित मानव समुदाय को बनाए रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना, भूख से मुक्ति, सामाजिक सुरक्षा है। यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बिना राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र अर्थहीन होगा।

लोकतांत्रिक प्रणाली और भारत

भारत 26 जनवरी 1950 को एक प्रस्तावना के साथ अपने स्वयं के संविधान को पेश करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भारत में 'डेमोक्रेसी' शब्द का पहली बार प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है जो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है। भारत के संविधान के निर्माता एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र प्रदान करते हैं जिसमें कार्यपालिका हमेशा अपने कार्यों, नीतियों और अन्य कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र तीन प्रकार के होते हैं - भारत में राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। इस संदर्भ में, यह देखा गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए एक समतावादी समाज की स्थापना करना है। आधुनिक समय में भी प्रचलित कुछ आधुनिक मौलिक सिद्धांत भारतीय संविधान में निर्धारित हैं -

(1) लोकतंत्र में, लोग संप्रभु शक्ति के स्रोत के रूप में होते हैं और सरकार लोगों की सहमति पर आधारित होती है।

(2) संविधान भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना संविधान का सर्वोच्च कर्तव्य है।

(3) भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर रहने वालों के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान।

(4) कानून का शासन लोकतंत्र और उसके तहत स्थापित शासन प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है।

(5) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान जो भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। आर्थिक लोकतंत्र लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

(6) संवैधानिक चुनाव तंत्र के साथ पूरे देश में एक पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव। ये भारतीय गणराज्य में लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

इस अध्ययन के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1) लोकतांत्रिक शासन की भारतीय प्रणाली और विश्व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना

2) भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों या चुनौतियों का अध्ययन करना

3) चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए संभावित उपायों का सुझाव देना और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वस्थ और अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करना।

लोकतंत्र के प्रकार

आमतौर पर, प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की प्रथा को 'सिटी स्टेट सिस्टम' के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली में, लोगों ने शासन की अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के पूरे लोगों द्वारा सरकार की एक प्रणाली थी। प्राचीन ग्रीस में, 'सिटी स्टेट' की प्रणाली, लोकतंत्र देश के योग्य व्यक्तियों और नागरिकों द्वारा शासन और नियंत्रण है। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र या लोगों का शासन नागरिकों द्वारा शासन के नियंत्रण में था। लोकतंत्र को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे - प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली प्राचीन यूनान में प्रचलित थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था में शासन के लिए आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए देश के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और वे इन नियमों को लागू भी करते हैं। नागरिक भी सीधे देश की न्यायिक प्रक्रिया में लगे हुए थे। लोकतंत्र के प्रावधान के अनुसार नागरिक स्वयं इन कर्तव्यों का पालन करते थे। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि नागरिकों के पास शासन की प्रक्रिया के साथ-साथ देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने की शक्ति है। स्विट्जरलैंड दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक अन्य प्रकार का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस प्रकार के लोकतंत्र में नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वर्तमान समाज में, दुनिया के अधिकांश देशों ने बड़े आकार और विशाल आबादी के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप माना है। जैसा कि यह प्रणाली प्रतिनिधियों द्वारा होती है, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत जैसा देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है। भारत में बड़ी आबादी और देश की विशालता के कारण लोग भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौतियां:

सरकार के एक रूप के रूप में लोकतंत्र कई उभरती चुनौतियों का सामना करता है। लोकतंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित हैं।

1. **राजनीति का अपराधीकरण** - राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के कामकाज के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। आम तौर पर, इसका अर्थ है चुनावों के माध्यम से राजनीतिक दलों और विधायिका में अपराधियों का सीधा प्रवेश और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए आपराधिक तरीकों और रणनीति का उपयोग करना। यह लोकतंत्र को और अधिक अव्यवस्थित और बाधित करता है क्योंकि यहां कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं। इसलिए, समाज में और साथ ही लोकतांत्रिक तंत्र के कामकाज में कानून और व्यवस्था के टूटने की संभावना है। भारत में कई राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता हासिल करने या अपने स्वार्थ के लिए अपराधियों के गिरोह में शामिल हैं। राजनीति के अपराधीकरण के कारण समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है। बिहार में 1997 के चुनाव में, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 67 राजनेता चुने गए, जो जनता पार्टी के सदस्य थे (सरमा, एवं अन्य 2004)। यह आधुनिक भारत में भारतीय लोकतंत्र के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

2. जातिवाद - जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए एक और खतरा है। भारत में एक जाति-आधारित समाज है जो प्रकृति में अजीब है। भारत का लोकतंत्र जाति आधारित राजनीति का साक्षी रहा है; जाति आधारित वोट पैटर्न और जाति आधारित युद्ध भी। भारत में, जाति व्यवस्था किसी व्यक्ति के जीने या बढ़ने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है जो लोकतंत्र का सार है। भारतीय समाज में, जाति व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर लोकतंत्र को प्रभावित करती है।

3. निरक्षरता- यह लोकतंत्र के कार्य करने के मार्ग में एक और बाधा है। उनमें सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में जागरूकता की कमी है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भारत जैसे देश में लोकतंत्र और निरक्षरता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समाज में कानून का शासन हो, समानता का प्रावधान हो, वहां शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था समृद्ध हो सकती है। लोकतंत्र के लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन अज्ञानी और निरक्षर लोग सही लोगों को अपने शासक के रूप में नहीं चुन सकते। वे लोकतांत्रिक सरकार की मूल बातों को भी नहीं समझ सकते। नतीजतन, एक अज्ञानी या अशिक्षित समाज के लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोर संरचना एक स्वस्थ लोकतंत्र को गतिशील रूप से बढ़ावा नहीं दे सकती है।

आतंकवाद- लोकतंत्र के कामकाज के लिए आतंकवाद एक और उभरती हुई चुनौती है। यह लोकतांत्रिक सरकारों को कमजोर करता है और निर्दोष लोगों को मारता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, आतंकवाद सार्वजनिक बहसों को विकृत करता है, नरमपंथियों को बदनाम करता है, राजनीतिक चरमपंथियों को सशक्त बनाता है, और समाजों का ध्रुवीकरण करता है। अब, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक बड़ी बाधा है। आतंकवादी हिंसा का सामना करने वाली सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नागरिक समाज जैसे कर्ता-धर्ता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे खतरनाक राजनीतिक प्रभाव हैं। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को दुनिया का दुश्मन घोषित कर दिया। भारत जम्मू-कश्मीर में कई वर्षों से आतंकवादी समस्या का सामना कर रहा है। भारतीय संसद में आतंकवादी हमला (2001) ताजहोटल (2008), पठानकोट (2016), और पुलवामा (2019) कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डाल दिया।

4. भ्रष्टाचार-राजनीतिक भ्रष्टाचार लोकतंत्र के कामकाज में एक और बाधा है। यह सरकार की वैधता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन को कमजोर करता है। राजनीतिक नेता देश की अवैध संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव राजनीति, प्रशासन और संस्थाओं पर पड़ता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार सार्वजनिक नीति निर्माण में विश्वास और जवाबदेही को कम करता है; यह न्यायपालिका में कानून के शासन और लोक प्रशासन में सेवा के अक्षम प्रावधान से समझौता करता है। भ्रष्टाचार का काउंटी की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

लोकतंत्र के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें

सामान्य रूप से दुनिया में और विशेष रूप से भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं।

लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता: - लोकतंत्र के लिए आवश्यक पहली और सबसे महत्वपूर्ण पूर्व शर्त राजनीतिक स्वतंत्रता है। यह लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रदान करता है। राजनीतिक रूप से उन्हें संगठित करना लोगों का मौलिक अधिकार है, हालांकि वे राजनीतिक प्राथमिकताओं का प्रयोग कर सकते हैं। भारत जैसे देश में, लोगों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और आगे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। भारत में, राजनीतिक स्वतंत्रता भी नागरिकों को संघ बनाने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार देती है।

लोकतंत्र और राजनीतिक चेतना:- सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक दूसरी महत्वपूर्ण शर्त राजनीतिक चेतना है। आम तौर पर, राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य और राजनीति के बारे में लोगों की जागरूकता है। इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहिष्णुता, स्पष्ट धारणा और सरकारों, राजनीतिक संस्थानों, राज्य और राजनीति के प्रति आम सहमति शामिल है। हालाँकि, लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक चेतना आवश्यक है।

लोकतंत्र और राजनीतिक शिक्षा: - राजनीतिक शिक्षा लोकतंत्र के लिए आवश्यक एक अन्य सफल घटक है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो राजनीतिक चेतना को प्रभावित करता है। यह सबसे अच्छा मंच है जहां नागरिकों को लोकतंत्र के विचारों और मूल्यों को जानने का

अधिकार है। राजनीतिक शिक्षा लोगों की सरकार के खिलाफ रचनात्मक आलोचना करने की क्षमता को बढ़ा सकती है ताकि उन्हें सरकार के निर्णय लेने में सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा द्वारा नागरिक या तो कल के प्रभावी नेता बन सकते हैं या अनैतिक कारकों से प्रभावित हुए बिना अपने नेता को बुद्धिमानी से चुन सकते हैं।

लोकतंत्र और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा: - सफल कार्यशील लोकतंत्र के लिए छठा महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है। राजनीतिक अधिकारों के ठीक से प्रयोग के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। यह गरीबी उन्मूलन में मदद करता है और निष्पक्ष तरीके से उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों की उपलब्धता की दिशा में सुरक्षा प्रदान करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ लोगों के बीच धन की एकाग्रता और असमानता के उन्मूलन की बहुत आवश्यकता है।

लोकतंत्र और मजबूत पार्टी प्रणाली: - राजनीतिक दल लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक एक अन्य घटक है। राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक जनमत को संगठित करना और नीतिगत निर्णयों के अनुकूल स्थिति का निर्माण करना है। यह सरकार के गठन के साथ सरकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाता है। लोकतंत्र को और अधिक सफल बनाने के लिए सत्ताधारी सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्वस्थ और प्रभावशाली विपक्षी दल का होना आवश्यक है। इस प्रकार, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्वस्थ और स्वस्थ पार्टी प्रणाली आवश्यक है।

लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता: - लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक चौथी महत्वपूर्ण पूर्व शर्त मीडिया की स्वतंत्रता है। एडमंड बर्क के अनुसार मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह सरकार के कामकाज को संप्रेषित करने में एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मीडिया जनता के बीच लोकतांत्रिक विचारों को भी बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, आतंकवाद आदि की गतिविधियों को उजागर करता है। इसलिए, यह रेखांकित करना आवश्यक है कि जनमत बनाने और व्यक्त करने के लिए एक स्वतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया आवश्यक है।

लोकतंत्र और सत्ता का विकेंद्रीकरण :- लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक सातवीं पूर्व शर्त सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को चलाने के लिए सरकार की शक्ति का समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। सत्ता की प्राथमिकताओं के विकेंद्रीकरण के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा मंच है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के साथ, लोग सीधे प्रशासन में रुचि लेते हैं और सरकार को पूर्ण समर्थन देते हैं। लोकतंत्र पंचायतीराज प्रणाली के माध्यम से शासन में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। जैसा कि डी टोक्यूविले ने ठीक ही कहा है कि, "स्थानीय संस्थाएँ स्वतंत्र राष्ट्र की ताकत का निर्माण करती हैं। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की व्यवस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन नगरपालिका संस्थाओं के बिना, उसमें स्वतंत्रता की भावना हो सकती है।" गांव के विकास से ही भारत का विकास हो सकता है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए ग्राम पंचायत को अधिक स्वायत्त शक्तियों के साथ सशक्त किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र और स्वतंत्र और स्वतंत्र चुनाव: - लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक सातवां घटक भारत में स्वतंत्र और स्वतंत्र चुनाव है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए, स्वतंत्र चुनाव तंत्र आवश्यक है जो संघ और राज्य विधानमंडलों दोनों के चुनावों का संचालन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है जिसे इस उद्देश्य के लिए संवैधानिक स्थिति के साथ डिजाइन किया गया है। एक स्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए, पूरे देश में चुनावी सुधारों के साथ-साथ चुनावी कानूनों को तैयार किया जाना चाहिए। जैसा कि यह तथ्य है कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय-समय पर होने वाले चुनाव लोगों के विश्वास को स्थापित करने में मदद करते हैं और यह लोगों की राय का सम्मान भी करते हैं।

संभावित सुझाव

भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए निम्नलिखित कुछ आवश्यक सुझाव हैं

1. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मतदाता लोकतंत्र का हृदय है। मतदाताओं को राजनीतिक चेतना के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोगों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने या जानने की क्षमता है। उन्हें जमीनी स्तर पर सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन आदि आयोजित करके अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए।

2. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरक्षर लोगों को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने उम्मीदवारों को समझदारी से मतदान कर सकें। चेतना का अभाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अत: भारत में राजनीतिक शिक्षा तथा ज्ञान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। यदि जनता अपनी राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होती तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सफल नहीं हो पाती।

3. एनजीओ और सरकारी संस्थानों को हमेशा देश की भलाई के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए। उन्हें देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पहल को बढ़ावा देना चाहिए।

4. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को सही तथ्यों को सामने लाने और लोकतंत्र की सच्ची भावना को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता सौंपी जानी चाहिए जो सरकार को समाज के सही तथ्यों का पता लगा सके।

5. लोकतंत्र को बनाए रखने में राजनेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें लोकतंत्र की भावना और देश के सेवक के रूप में देश की सेवा करने का मन होना चाहिए, न कि देश की माता के रूप में। उन्हें देश के विकास के लिए काम करना चाहिए और समुदाय की सेवा के विचार का पालन करना चाहिए। राजनेता मुद्दों के आधार पर राजनीति कर सकते हैं, भारत में जाति, धर्म या सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर नहीं। उन्हें देश में ऐसी भूमिका निभानी होगी कि लोकतंत्र की सच्ची भावना को पुनर्जीवित किया जाए और लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुनर्संरचित किया जाए।

6. देश के नेता के पास अच्छे नैतिक मूल्य और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आचरण और चरित्र के आधार पर अपना नेता चुनना नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य है। नेता को सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन की एक बुद्धिमान समझ होनी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक हित के लिए न्याय और निःस्वार्थ समर्पण प्रदान करना चाहिए। नेताओं को युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। इस प्रकार, लोकतंत्र की सफलता लोगों के साथ-साथ सरकार के उच्च नैतिक स्तर पर निर्भर करती है।

7. भारतीय संविधान के भाग IV में उल्लिखित राज्य सिद्धांतों के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) को भारतीय संविधान के भाग III के मौलिक अधिकारों की तरह ही न्यायसंगत अधिकार बनाया जाना चाहिए। डीपीएसपी को हमेशा भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए।

8. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लोकतंत्र के तीन स्तंभ क्रमशः देश में चल रहे मामलों पर नजर रखकर सामूहिक रूप से काम करें।

इन संस्थानों को हमेशा लोकतंत्र की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए और देश की बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक माना जाता है, लेकिन व्यवहार में,

विभिन्न उभरती चुनौतियाँ या मुद्दे हैं जो भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत। हालांकि चर्चा का विषय है कि 1947 से आजादी के बहत्तर वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत में अशिक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवादी और माओवादी गतिविधियों की भरमार है जो लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ को खतरे में डालती है। आधुनिक विश्व में, प्रत्येक लोकतंत्र ने कई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना किया है। लोगों के सहयोग से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जब लोगों और सरकार की सोच के बीच कोई बड़ा अंतर न हो और उनके बीच सहयोग की भावना हो। राजनेताओं के भ्रष्टाचार और स्वार्थ के कारण मतदाताओं की आस्था लोकतंत्र के प्रति कम हुई है। हालांकि, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं जो अपने नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करता है। इसलिए, यह राजनेताओं, सरकारों और लोगों का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वे सामूहिक प्रयास करें और सरकार के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने देश को परिपूर्ण बनाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम को पूरे देश में ठीक से लागू किया जाना चाहिए और अधिनियमों को भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना राजनीतिक चेतना और लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार, कर्तव्यों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करके किया जा सकता है।

संदर्भ

1. बख्शी पीएम। चुनिंदा टिप्पणियों के साथ भारत का संविधान, नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड, 1999।

2. बेटेली आंद्रे। डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2012।

3. बीजू एमआर। (एड।), आधुनिक लोकतंत्र की गतिशीलता: भारतीय अनुभव, नई दिल्ली; कनिष्का प्रकाशक, 2009।

4. कोरी जेए। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1947।

5. फादिया बीएल। भारत सरकार और राजनीति, आगरा: सत्यभवन प्रकाशन, 2007।

6. गहलोत एन.एस. भारतीय राजनीति को नई चुनौतियां, नई दिल्ली: दीप और दीप प्रकाशन, 2002

7. गोल्ड कैरिल सी. रिथिंकिंग डेमोक्रेसी: फ्रीडम एंड सोशल कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988।

8. गुप्ता यूएन। भारतीय संसदीय लोकतंत्र, नई दिल्ली: अटलांटिक प्रकाशक, 2003।

9. जयल नीरज गोपाल। (एड।), डेमोक्रेसी इन इंडिया, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2007।

10. कश्यप सुभाष। हमारी संसद, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, 2008।

11. लैकॉफ सैनफोर्ड। लोकतंत्र: इतिहास, सिद्धांत, अभ्यास। बोल्डर, सीओ: वेस्ट व्यू प्रेस, 1996।

12. टौरियन एलेन। डैमोक्रैसी क्या होती है? बोल्डर, सीओ: वेस्ट व्यू प्रेस, 1997।